



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 1935

No. 83]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

**सा का.नि. 109 (अ).**— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में “स्तंभ (5) से स्तंभ (14)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	*1 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 7600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसा प्रधान निजी सचिव जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा नामविर्दिष्ट किया जाए - सदस्य</li> <li>3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में प्रशासनिक अधिकरण का भारसाधक संयुक्त सचिव - सदस्य</li> <li>4. प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12011/1/2011-ए.टी.]

ममता कुंद्रा संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 74 तारीख 4 मई, 2007 द्वारा प्रमाणित किए गए।

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS****(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2014

**G.S.R.109(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal, (Senior Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2007, namely: —

1.Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Senior Principal Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Senior Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 2007 (hereinafter referred to as the principal rules), in paragraph 3, for the words, brackets and figures “Column (5) to (14)”, the words, brackets and figures “Column (5) to (13)” shall be substituted.

3. In the principal rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay or Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Principal Private Secretary	1* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600-39100/- Plus Grade Pay of Rs.7600/-	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion

In case of recruitment promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion: -</b> Principal Private Secretary in the Central Administrative Tribunal with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1: -</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2: -</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of that Pay Commission.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Central Administrative Tribunal - Chairman</li> <li>2. Member, Central Administrative Tribunal nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Member</li> <li>3. Joint Secretary, in charge of Administrative Tribunal in Department of Personnel and Training- Member</li> <li>4. Principal Registrar, Central Administrative Tribunal- Member</li> </ol>	Not applicable

[F.No.A-12011/1/2011-AT]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

**Foot Note:** The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 74, dated the 4th May, 2007.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

**सा.का.नि. 110(अ).**— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के पैरा 3 में "स्तंभ (5) से स्तंभ "(14)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
3. मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान निजी सचिव	* 16 (2013)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<b>प्रोन्नति</b> :- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में ऐसे निजी सचिव जो वेतन बैंड - 2, ग्रेड वेतन 4800 रु. और वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 5400 में आठ वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा कर चुके हों <b>टिप्पण 1 :-</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या अधिकरण का कोई सदस्य जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकरण का सदस्य - <b>अध्यक्ष</b> 2. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य - <b>सदस्य</b> 3. प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या कोई	लागू नहीं होता।

<p>हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारियों में से जो वेतन बैंड 3,15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु. नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव या ऐसे निजी सचिव जो वेतन बैंड - 2, ग्रेड वेतन 4800 रु. और वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 5400 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p><b>टिप्पण 1 :-</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण :-</b> प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>अन्य रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ....</p> <p style="text-align: center;"><b>- सदस्य</b></p>	
---	--	--

[फा. सं. ए. 12011/1/2011-ए.टी]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :-** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 344 (अ) तारीख 31 जुलाई, 1996 द्वारा प्रमाणित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. 785(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1998 और सा.का.नि. 280 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 1999 द्वारा संशोधित किए गए।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2014

**G.S.R. 110 (E).**- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 1996, namely:—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Principal Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Principal Private Secretary) Recruitment Rules, 1996 (hereinafter referred to as the principal rules), in paragraph 3, for the words, brackets and figures “Column (5) to (14)”, the words, brackets and figures “Column (5) to (13)” shall be substituted.

3. In the principal rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Principal Private Secretary	16* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group ‘A’ Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs.15600-39100 Plus Grade Pay of Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Promotion failing which by deputation

<b>In case of recruitment promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made</b>
<b>(11)</b>
<p><b>Promotion: -</b> Private Secretaries in the Central Administrative Tribunal with eight years combined regular service rendered in PB-2 with Grade Pay of Rs.4800 and PB-3 with Grade Pay of Rs.5400</p> <p><b>Note 1: -</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:-</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ or pay scale extended based on the recommendations of that Pay Commission.</p> <p><b>By Deputation: -</b> From amongst officers of the Central Government or State Government or High Courts holding analogous posts of Principal Private Secretary on a regular basis in the Pay Band-3 Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600 or in the grade of Private Secretary with at least eight years combined regular service rendered in PB-2 with Grade Pay of Rs.4800 and PB-3 with Grade Pay of Rs. 5400.</p> <p><b>Note 1: -</b> The Departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly a deputationist in the Central Administrative Tribunal shall not be eligible for consideration against promotion.</p> <p><b>Note 2: -</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or in some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3: -</b> For purposes of appointment on deputation the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>

<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b>
<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Chairman, Central Administrative Tribunal or a Member of the Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - <b>Chairman</b></p> <p>2. Member, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman - <b>Member</b></p> <p>3. Principal Registrar, Principal Bench or any other Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal - <b>Member</b></p>	Not applicable.

[F. No. A-12011/1/2011-AT]  
MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

**Foot Note: -** The Principal rules were published in the Gazetted of India *vide* number G.S.R. 344 (E), dated the 31st July, 1996 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 785 (E), dated the 31st December, 1998 and G.S.R. 280 (E), dated the 22nd April, 1999.



**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

**सा.का.नि.111(अ).**— केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आशुलिपिक सेवा (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 4 में “स्तंभ (5) से स्तंभ (14)” शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर स्तंभ (5) से स्तंभ (13)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- मूल नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी। अर्थात् :—

**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी सचिव	* 65 (2013)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300—34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर वेतन बैंड-3, 15600—39100 और ग्रेड वेतन 5400 रु. में मंजूर किया गया अकालिक ग्रेड	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति :- प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन : प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा 50 प्रतिशत	प्रोन्नति :— (i) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आशुलिपिक समूह 'ग' या कोर्ट मास्टर में से ज्येष्ठता द्वारा चयन के आधार पर उन व्यक्तियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है।

		<p><u>टिप्पण 1 :-</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><u>टिप्पण 2 :-</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>(ii) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आशुलिपिक 'समूह ग' या कोर्ट मास्टर्स जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर योग्यता के क्रम में भरी जाएगी। प्रतिनियुक्ति या आमेलन - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण कर रहे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा 50 प्रतिशत :</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं। (ii) जो वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं।</p> <p><u>टिप्पण 1 :-</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पण 2 :-</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	---

			<p><b>टिप्पण 3 :-</b> प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
<p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट होने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य - अध्यक्ष</p> <p>2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य - सदस्य</p> <p>3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण - सदस्य</p>	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी 'ग')	* 69 (2013)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 2, 9300—34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	18 वर्ष से 27 वर्ष  (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारियों और आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	लागू नहीं होता
					<b>टिप्पण 1 :-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	

					<p>भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p><b>टिप्पण 2 :-</b> आयुसीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।</p>
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत	<p>प्रोन्नति :—</p> <p>(i) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p><u>टिप्पण 1 :-</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><u>टिप्पण 2 :-</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01</p>

		<p>जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>(ii) प्रोन्नति के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उन आशुलिपिक 'समूह 'घ' जिन्होंने वेतन बैंड - 1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो में से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर योग्यता के क्रम में भरी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति या आमेलन - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण कर रहे अधिकारी</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं।</p> <p>(ii) जो वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु में आशुलिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं।</p> <p><u>टिप्पण 1</u> : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><u>टिप्पण 2</u> : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पण 3</u> :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पण 4</u> : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित</p>
--	--	---

			होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य — अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य — सदस्य	
3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का प्रधान रजिस्ट्रार, प्रधान न्यायपीठ या रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, — सदस्य	

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(आशुलिपिक श्रेणी 'घ')	32* (2013)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड - 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारियों और आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति	लागू नहीं होता

					जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
					टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) सीधी भर्ती द्वारा 90 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा (ii) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा 10 प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती टिप्पण : एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी, या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य पदोन्नति के अधीन दूर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के उन पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं जो नियमित आधार पर सदुपध धारण कर रहे हैं और स्तंभ (7) में की सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हों। (ii) सीमित विभागीय परीक्षा - केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा भी हों और स्तंभ (7) में यथा विहित अर्हताएं रखते हों। प्रतिनियुक्ति / आमेलन - केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों से ऐसे पदधारी :— (i) जो वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु में आशुलिपिक समूह -ख- पद धारण कर रहे हैं या (ii) वेतन बैंड-1,5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु में कम से कम दो वर्ष सेवा कर चुके अवर श्रेणी लिपिक के पद या समतुल्य पदों के धारक और जो स्तंभ (7) के अनुसार कौशल सनियम रखते हों। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

			<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामविदिष्ट किए जाने वाला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का सदस्य — अध्यक्ष</li> <li>2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाला संयुक्त रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — सदस्य</li> <li>3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाला उप रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए 12011/1/2011-ए.टी]  
ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :-** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 455 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात सा.का.नि. 367(अ) तारीख 18 मार्च, 1992, सा.का.नि. 775 (आ) तारीख 25 अक्टूबर और सा.का.नि. 784(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1998 द्वारा संशोधित किए गए।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

**G.S.R. 111 (E).**- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal, Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, for the words, brackets and figures "Columns (5) to (14)", the words, brackets and figures "Column (5) to (13)" shall be substituted.



3. In the principal rules, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely: -

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Private Secretary	65* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4800/- and on completion of four year regular service in the grade pay of Rs.4800/- granted non-functional grade in PB-3 of Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs.5400/-.	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment promotion or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	<b>Promotion:</b> 50% by Promotion failing which by deputation <b>Deputation or Absorption:</b> 50% by deputation or absorption	<b>Promotion: -</b> (i) 50% of the vacancies for promotion shall be filled by promotion on the basis of the selection by seniority from amongst Stenographers Grade 'C' or Court Masters in the Central Administrative Tribunal who have rendered six years of regular service in the pay Band-2 Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600.  <b>Note 1: -</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying

			<p>or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:-</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ or pay scale extended based on the recommendations of that Pay Commission.</p> <p>(ii) 50% vacancies for promotion shall be filled in from amongst Stenographers Grade 'C' or Court Masters in the Central Administrative Tribunal who have rendered not less than five years regular service in the Pay Band-2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4600/- in the order of merit on the basis of Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Administrative Tribunal.</p> <p><b>Deputation or Absorption : -</b> 50% by deputation or absorption of officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or High Courts; (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) Six years of regular service in the Pay Band -2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4600/-.</p> <p>Note 1: - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3:-</b> For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>
--	--	--	---

<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b>
(12)	(13)
<b>Departmental promotion Committee consisting of: -</b> <b>1. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman-Central Administrative Tribunal- Chairman</b> <b>2. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Member</b> <b>3. Principal Registrar, Principal Bench or a Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal, nominated by the Chairman Central Administrative Tribunal - Member</b>	Not applicable

<b>Name of post</b>	<b>Number of post</b>	<b>Classification</b>	<b>Pay Band Plus Grade Pay</b>	<b>Whether Selection post or Non-Selection post</b>	<b>Age limit for direct recruits</b>	<b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Court Master (Stenographer Grade 'C')	69* (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800/- Plus Grade Pay of Rs.4600/-	Selection	18 to 27 years (Relaxable for Government Servants and employees of the Central Administrative Tribunal up to five years and relaxation for reserved category candidates in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note 1 :-</b> The crucial date for determining the age limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of	<b>Essential: -</b> <b>1. 12<sup>th</sup> Class Pass</b> or equivalent from a recognized Board or University. Dictation: - 10mts @ 100 words per minute in Shorthand (English) and transcription 40 words per minute in typewriting (English) and 55 mts (Hindi). <b>Note:-</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates who are otherwise well qualified.

					Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) <b>Note 2:-</b> The Crucial date for determining the age limit shall be the date as advertised by the Staff Selection Commission
--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits and Promotees	<b>50%</b> by promotion failing which by deputation <b>50%</b> by direct recruitment by Staff Selection Commission	<b>Promotion: -</b> <b>(i)</b> 50% of the vacancies for promotion shall be filled in by promotion from amongst Stenographers Grade 'D' in the Central Administrative Tribunal who have rendered not less than eight years regular service in the Pay Band-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.2400/-. <b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. <b>Note 2.</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale

		<p>extended based on the recommendations of that Pay Commission.</p> <p>(ii) 50% of the vacancies for promotion shall be filled in from amongst Stenographers Grade 'D' in the Central Administrative Tribunal who have rendered not less than five years regular service in the Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs.2400 in the order of merit on the basis of result of a Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Central Administrative Tribunal.</p> <p><b>Deputation or absorption: -</b> Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or High Courts;</p> <p>(i) holding the analogous post on regular basis</p> <p>(ii) with eight years regular service in the Stenographer Grade in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400/-.</p> <p><b>Note 1:-</b>The Departmental officers in the feeder grade category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:-</b>The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceed 56 years as on the closing date of receipt.</p> <p><b>Note 4:-</b>For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the</p>
--	--	---

			post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.
--	--	--	--

<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b>
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Chairman 2. Member of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- Member 3. Principal Registrar, Principal Bench or a Registrar or Joint Registrar, Central Administrative Tribunal, nominated by the Chairman- Member	Not applicable

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band Plus Grade Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Steno-grapher Grade 'D'	32 * (2013) * Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200-20200/- Plus Grade Pay Rs.2400/-	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants and employees of the Central Administrative Tribunal up to 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul	<b>Essential:-</b> (i) 12 <sup>th</sup> Class Pass or equivalent from a recognised Board or University. (ii) Skill Test Norms Dictation:- 10mts @ 80 W. p.m. Transcription: 65 mts. (English) 75 mts. (Hindi) (on manual Typewriter) or 50 mts. (English) and 65 mts. (Hindi) (on Computer)

					and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) <b>Note 2:-</b> The Crucial date for determining the age limit shall be the date as advertised by the Staff Selection Commission
--	--	--	--	--	--

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Note applicable	Two years	90% by direct recruitment failing which by deputation or absorption (ii) 10% by Limited Departmental Examination to be conducted by the Central Administrative Tribunal failing which by deputation or absorption	(i) Direct recruitment through Staff Selection Commission <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation for long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more, may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column (7). (ii)Limited Departmental Examination: Lower Divisional Clerks in Central Administrative Tribunal with at least two years regular service and possessing the qualifications as prescribed in Column (7). <b>Deputation/absorption: -</b> Officials from the Central Government or State Government or High Courts; (i) holding the post of Stenographer Grade 'D' in the Pay Band I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400/- ; or (ii) holding the post of Lower Divisional Clerk or equivalent posts with at least two years service in the Pay Band- I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900/- and possessing skill norms test as per Column (7). <b>Note 1:-</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding

			<p>this appointment in same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceed 56 years as on the closing date of receipt.</p> <p><b>Note 3:-</b> For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of that Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>
--	--	--	---

<b>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</b>	<b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b>
(12)	(13)
<p><b>Departmental Promotion Committee Consisting of: -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- <b>Chairman</b></li> <li>2. Joint Registrar of Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman, Central Administrative Tribunal- <b>Member</b></li> <li>3. Deputy Registrar, Central Administrative Tribunal to be nominated by the Chairman Central Administrative Tribunal - <b>Member</b></li> </ol>	Note applicable

[F. No. A-12011/1/2011-AT]  
MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

**Foot Note:-** The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R 455(E), dated 20th April, 1989 and subsequently amended vide G.S.R. 367 (E), dated 18th March, 1992, G.S.R. 775 (E), dated 25th October, 1994 and G.S.R. 784 (E), dated 31st December, 1998